रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112022-24016**4** CG-DL-E-10112022-240164

असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4923]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2022/कार्तिक 13, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2022/KARTIKA 13, 1944

No. 4923]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2022

का.आ. 5142(अ).—केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (भारत सरकार के पोत परिवहन, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सडक परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसुचना संख्या का.आ. 133(अ) तारीख 11 जनवरी, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 19 जनवरी, 2021 में प्रकाशित की गई थी, व्दारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 548 डी के कि.मी. 83.550 से कि.मी. 110.100 न्हावरा से प्रारंभ होकर इनामगाव, तांदळी, काष्टी के निकट रा.म. क्र. 160 के साथ समाप्त होने वाला राष्ट्रिय महामार्ग) के भुखण्ड के निर्माण (चार लेन का बनाने/चौडा करणे, आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसुचना से उपाबध्द अनुसूची में विर्निदिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसुचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन 18 में 2022 तारीख को ''इकॉनॉमिक टाइम्स'' और 04 में 2022 तारीख को ''केसरी'' में प्रकाशित किया गया था.

जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अनन्ज्ञात कर दिया है.

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है.

7336 GI/2022 (1) अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) व्दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए,

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रुप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी.

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 548डी डी के (कि.मी. 83.550 से कि.मी. 132.600 (तांदळी से होकर काष्टी, लिंपनगाव, श्रीगोंदा आढळगाव मे साथ समाप्त होने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: पुणे							
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम		
1	2	3	4	5	6		
	तालुक का नाम: शिरूर						
	गांव का नाम: इनामगाव						
1	10	सरकारी	कृषी	0.04	सरकारी गायरान (१०)		
2	466	निजी	कृषी	0.23	जितेंद्र मल्हारराव मोकाशी, हर्षवर्धन जितेंद्र मोकाशी ()		
3	516	निजी	कृषी	0.01	चेअरमन बाबासो मोकाशी वि.का.सो.मर्यादित इनामगाव, दत्तात्रय मानसिंगराव मोकाशी, अजिंक्य दत्तात्रय मोकाशी (५१६ पै.)		
	गांव का नाम: पिंपलसुटी						
4	62	निजी	कृषी	0.08	शांताराम तात्याबा फराटे, नानासो बबन खराडे, महादेव तुकाराम फराटे, ऋषिकांत रामदास फराटे, नवनाथ लक्ष्मण फराटे, रामदास तुकाराम फराटे, लक्ष्मण तुकाराम फराटे, महादेव तुकाराम फराटे, द्रोपदी लक्ष्मण फराटे, सुरेखा महादेव फराटे, नाना राजाराम फराटे, दत्ता राजाराम फराटे, कुसुम राजाराम फराटे, संतोष विठ्ठल फराटे, पांडुरंग आप्पासाहेब फराटे, आसाराम तात्याबा फराटे, अशोक तुळशीराम फराटे, कलावती तुळशीराम फराटे (म.वा) प्रल्हाद तुळशीराम फराटे, दिलीप रामचंद्र		

					कदम. (६२ पै.)
			कुल	0.36	

फा. सं. RW/NH-12014/96/2018-MAH/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2022

S.O. 5142(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S.O.133 (E) dated 11th January 2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.548D in the stretch of land from km. 83.550 to km. 110.100 (Starting from Nhavara Inamgaon tandali and terminating on NH-160) in Shirur Taluka and District Pune in the state of Maharashtra:

And whereas the substance of the said notification has been published in "Economic Times." dated 18th May, 2022 in English and "Kesari" dated 04th May, 2022 in Marathi under sub-section (3) of section 3A of the said Act:

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Within the stretch of Upgradation/Reconstruction to two lane with paved shoulders/ Four lane configuration (Package no Nashik IV) - Nhavara - Inamgaon - Kashti - Shrigonda - Jalgaon - Jamkhed of SH-55 (Now new NH-548D) Section - 1 : Nhavra to Adhalgaon from km. 83.550 to km. 132.600 (excluding km 111+100 to km. 111+700), length = 48.450 km. in the state of Maharashtra on EPC Mode

State: MAHARASHTRA District: PUNE							
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.		
1	2	3	4	5	6		
	Taluk: Shirur						
	Village: Inamgaon						
1	10	Government	Agriculture	0.04	Sarkari Gayran 10		

2	466	Private	Agriculture	0.23	Jitendra Malharrao Mokashi, Harshvardhan Jitendra Mokashi		
3	516	Private	Agriculture	0.01	Chairman Babaso Mokashi V.K Society Ltd Inamgaon, Dattatray Mansingrao Mokashi, Ajinkya Dattatray Mokashi 516 PT		
	Village: Pimpalsuti						
4	62	Private	Agriculture	0.08	Shantaram Tatyaba Farate, Nanaso Baban Kharade, Mahadev Tukaram Farate, Rushikant Ramdas Farate, Navnath Lakshman Farate, Ramdas Tukaram Farate, Lakshaman Tukaram Farate, Mahadev Tukaram Farate, Dropadi Lakshaman Farate, Surekha Mahadev Farate, Nana Rajaram Farate, Datta Rajaram Farate, Kusum Rajaram Farate, Santosh Vithal Farate, Pandurang Appasaheb Farate, Asaram Tatyaba Farate, Ashok Tulshiram Farate, Kalawati Tulshiram Farate (LH) Pralhad Tulshiram Pharate, Dilip Ramchandra Kadam 62 PT		
			TOTAL	0.36			

[F. No. RW/NH-12014/96/2018-MAH/3D2]
RAJESH GUPTA, Director